वागड़ चेतना मण्डल, सीमलवाड़ा

C/O श्री प्रकाशचन्द्र पण्ड्या, ग्राम व पोस्ट-सीमलवाडा, जिला-डूंगरपुर, पिन-314403(राजस्थान) (पंजीयन संख्याः 37/डूंगरपुर/1993-94, दिनांकः 28-01-1994)

संशोधित नियमावली

- 1. सोसाइटी का नाम:- इस सोसाइटी का नाम "वागड़ चेतना मण्डल, सीमलवाड़ा " है व रहेगा।
- 2. पंजीकृत कार्यालय:- इस सोसाइटी का पंजीकृत कार्यालय निम्न है:-

वागड़ चेतना मण्डल, सीमलवाड़ा

C/O श्री प्रकाशचन्द्र पण्ड्या, ग्राम व पोस्ट-सीमलवाड़ा, जिला-डूंगरपुर, पिन-314403(राजस्थान)

- सोसाइटी का कार्यक्षेत्र:- इस सोसाइटी का कार्यक्षेत्र राजस्थान राज्य की भौगोलिक सीमाओं तक सीमित होगा।
- सोसाइटी के उद्देश्य:- इस सोसाइटी के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:-
- (i) बालक-बालिकाओं, किशोर-किशारियों एवं युवक-युवितयों को पूर्व-प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से मान्यता प्राप्त कर विद्यालय एवं महाविद्यालय की स्थापना, संचालन, प्रबंध एवं रख-रखाव करना।
- (ii) युवक-युवतियों को व्यावसायिक शिक्षा, शिक्षक प्रशिक्षण, तकनीकी प्रशिक्षण, वृत्तिक प्रशिक्षण, ललित कला शिक्षण, शारीरिक शिक्षा, कृषि तकनीक शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य शिक्षा, आदि प्रदान करने के उद्देश्य से आवासीय अथवा अन्य व्यावसायिक शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना, संचालन, प्रबंध एवं रख-रखाव करना।
- (iii) कम्प्यूटर विज्ञान शिक्षण तथा इसके प्रसार हेतु विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा मान्यता प्राप्त कम्प्यूटर पाठ्यक्रम तथा विभिन्न संस्थाओं से फ्रेंचाईजी लेकर कम्प्यूटर प्रशिक्षण कोर्स चलाना तथा विभिन्न स्थानों पर कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना व संचालन करना।
- (iv) विकलांग, निराश्रित, अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के छात्र-छात्राओं के अध्ययन हेत् राज्य व केन्द्र सरकार से छात्रवृत्ति दिलवाने का प्रयास करना।
- (v) छात्र-छात्राओं में उच्च मानवीय मूल्यों का विकास करना तथा उनमें अनुशासन तथा देश-मिक्त की भावना का विकास करना ताकि वे समाज में सफल नागरिक के रूप में जीवन-यापन करने में सक्षम हो सकें।
- (vi) विद्यार्थियों के लिये जागरूकता कार्यक्रमों, व्याख्यानों, निबन्ध प्रतियोगिताओं, प्रदर्शनियों, सेमीनारों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करना एवं अन्य गतिविधियों को प्रोत्साहित करना।
- (vii) विद्यार्थियों को व्यक्तिगत स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए स्वास्थ्य-जाँच शिविरों का आयोजन करना एवं स्वास्थ्य-शिक्षा का प्रसार करना।
- (viii) सोसाइटी के उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु राज्य/केन्द्र सरकार के विभिन्न विभागों, गैर सरकारी संगठनों, विश्वविद्यालयों, शोध संस्थानों, आदि से संपर्क एवं समन्वय स्थापित करना।

(प्रकाशचंद्र पण्ड्या) अध्यक्ष

(पण्ड्या प्रियंकाबेन हर्षदकुमार) सचिव

Signature valid

Digitally signed by Visin Prasad Meena Designation : Re 51:19 IST Date: 2024.01.2 Reason: Approved Location:





(राकेश उपाध्याय)

कोषाच्यक्ष

कमशः.....2

- (ix) समान उद्देश्यों को लेकर कार्य करने वाले संगठनों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं से समन्वय स्थापित करते हुए उनमें कार्यरत व्यक्तियों के क्षमता निर्माण हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं सेमिनारों का आयोजन करना एवं सोसाइटी के क्रियाकलापों के प्रचार-प्रसार हेतु मासिक/त्रैमासिक/वार्षिक पत्र-पत्रिकाओं/बुलेटिन का प्रकाशन करना।
- (x) सोसाइटी के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए समुचित कर्मचारियों, कार्मिकों, विधि विशेषज्ञ एवं अन्य विशेषज्ञों, वकीलों, प्रबन्धकों, आदि को दैनिक, मासिक अथवा संविदा के आधार पर नियोजित करना तथा उन्हें वेतन, मजदूरी, मानदेय, शुल्क, आदि के रूप में भुगतान करना। सोसाइटी के पदाधिकारियों एवं संचालक सदस्यों के द्वारा सोसाइटी में सिक्रय रूप से कार्य करने या सेवा प्रदान करने पर उन्हें कार्यकारिणी के निर्णयानुसार मानदेय का भुगतान किया जा सकेगा।
- (xi) सोसाइटी के उद्देश्यों को प्राप्त करने में विद्यार्थियों के लिए भोजन, वस्त्र, चिकित्सा सहायता, छात्रावास, तरणताल, ऑडिटोरियम, खेल के मैदान, पुस्तकालय, वाचनालय, प्रयोगशालाओं, परिवहन, आदि की अनुदानित/निःशुल्क व्यवस्था करना।
- (xii) सोसाइटी के उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु सरकार, संस्थाओं एवं व्यक्तियों से चंदा, शुल्क, अनुदान, सहायता, राजकीय अनुदान, विदेशी सहायता के द्वारा वित्त का प्रबन्ध करना तथा निधियों का व्ययन करना। इनके अतिरिक्त सोसाइटी वित्तीय संस्थाओं एवं बैंकों से नियमानुसार ऋण प्राप्त करके भी संसाधनों का प्रबंध कर सकेगी। उक्त ऋण/ऋणों को प्राप्त करने हेतु सोसाइटी को अपनी परिसंपत्तियाँ वित्तीय संस्थाओं/ बैंकों के पास रेहन रखने का अधिकार होगा जिसके लिये सोसाइटी के अध्यक्ष, सचिव व कोषाध्यक्ष अधिकृत होंगे।
- (xiii) सोसाइटी के उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु चल-अचल परिसम्पत्तियों का क्रय/निर्माण करना अथवा पट्टे पर लेना, उन्हें धारण करना, उनकी सुरक्षा व सदुपयोग सुनिश्चित करना तथा आवश्यकतानुसार उनका बीमा करवाना।
- (xiv) ऐसी अन्य बातें /कार्य /क्रियाकलाप करना जो आवश्यक हो एवं सोसाइटी के किसी भी उद्देश्य को पूरा करने के लिए आनुषंगिक या सहयोगी हो।
- (xv) सोसाइटी की संपूर्ण आय, अर्जन, चल-अचल परिसम्पत्तियाँ केवल सोसाइटी के ज्ञापन में दिए गए लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु प्रयुक्त की जायेंगी और इन उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं होगा।
- 5. सदस्यता :- निम्न योग्यता रखने वाले व्यक्ति सोसाइटी के सदस्य बन सर्केंगे :-
- (i) भारत के नागरिक हों। (ii) वालिग हों। (iii) पागल, दिवालिए न हों।
- (iv) सोसाइटी के उद्देश्यों में रूचि व आस्था रखते हों।
- (v) सोसाइटी के हित को सर्वोपरि समझते हों।

(प्रकाशचंद्र पण्ड्या) अध्यक्ष िए. हेर्न्य प्रियंकाबेन हर्षदकुमार) सचिव ्रिंडिंग उपाध्याय) कोषाध्यक्ष क्रमशः......3

Signature yalid

Digitally signed by Vishin Prasad Meena
Designation: REGIST (AR Date: 2024.01.24 6.61:19 IST

Reason: Approved

Scanned with CamScanner



- सवस्यों का वगीकरण :-
 - (1) सोसाइटी के सदस्य तीन प्रकार के होगें- संरक्षक, मानद व साधारण।
 - (ii) मानद सदस्यों की घूमिका सलाहकार की होगी तथा वे सोसाइटी की बैठकों में बोट नहीं दे सकेंगे।
 - (iii) संरक्षक सदस्य अपनी ईम्छानुसार वोट का अधिकार प्राप्त कर सकते हैं जिसके लिए ये सदस्य बनने के समय ही अपनी ईच्छा व्यक्त कर सकते हैं। इसके अलावा कार्यकारिणी उनके अनुरोध पर बाद में भी विधार कर सकती है।
- सबस्यों द्वारा प्रदत्त शुल्क व चंदा :-(1) संरक्षक सदस्य अपनी ईच्छानुसार असीमित रूप से सोसाइटी को आर्थिक सहायता प्रदान कर सकते हैं। तथापि उनके लिए निर्घारित न्यूनतम चन्दा रू. 11000/- वार्षिक होगा।
 - (ii) मानद सदस्य अपनी इच्छानुसार सोसाइटी को आर्थिक सहयोग प्रदान कर सकते हैं। सोसाइटी को आर्थिक सहयोग न प्रदान करने की दशा में भी उनकी सदस्यता बनी रहेगी।
 - (iii) साधारण सदस्यों को सोसाइटी में रू. 1200/- वार्षिक का आर्थिक सहयोग प्रदान करना होगा।
 - (iv) उपरोक्त राशियाँ एकमुश्त अथवा मासिक किस्तों में जमा करवायी जा सकेगी।
- 8. सदस्यता समाप्ति :- सोसाइटी के सदस्यों की सदस्यता-समाप्ति निम्न तरीकों से होगी :-
 - (i) मृत्यु होने पर स्वतः ही। (ii) कार्यकारिणी को त्याग-पत्र देने तथा त्याग-पत्र स्वीकृत होने पर।
 - (III) सोसाइटी के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने तथा कार्यकारिणी के द्वारा दोषी पाये जाने पर कार्यकारिणी के निर्णयानुसार निष्कासन द्वारा।

इस प्रकार के निष्कासन की अपील 15 दिन के अन्दर लिखित आवेदन करने पर साधारण सभा के निर्णय हेतु वैद्य समझी जायेगी तथा साधारण सभा का निर्णय अंतिम होगा।

- साधारण-समा :-सोसाइटी के उपनियम संख्या-6 में वर्णित समस्त प्रकार के सदस्य मिलकर साधारण-सभा का निर्माण करेंगे।
- 10. साधारण-सभा के अधिकार और कर्तव्य :-
- (i) कार्यकारिणी का चुनाव करना।(ii) वार्षिक बजट पारित करना।
- (iii) कार्यकारिणी द्वारा लिए गए निर्णयों तथा किए गए कार्यों की समीक्षा करना तथा उनकी पुष्टि अथवा उन्हें निरस्त करना।

(iv) सोसाइटी के कुल सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से नियमों में संशोधन, परिवर्तन अथवा परिवर्द्धन करना जो रजिस्ट्रार के कार्यालय में प्रस्तुत कर प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के पश्चात् ही लागू होगा।

(प्रकाशचंत्र-पण्डया) आध्यक्ष

131.2.18011 (पण्ड्या प्रियंकाबेन हर्षदकुमार) सचिव

(राकेश उपाध्याय) कोषाध्यक्ष

क्रमशः.....4

Signature valid

Digitally signed by Vishin Prasad Designation : Gu Date: 2024.01.2 51:19 IST Reason: Approved



- (i) साद्यारण-सभा की वर्ष में कम-से-कम एक बैठक अनिवार्य होगी जिसे वार्षिक आम-सभा कहा 11. साधारण-समा की बैठकें :-लायेगा। परन्तु आवश्यकतानुसार अध्यक्ष/सचिव द्वारा विशेष आप-समा कमी मी बुलाई जा सकेगी।
 - (ii) विशेष आम-सभा सोसाइटी के एक-तिहाई सदस्यों के द्वारा लिखित आवेदन करने पर अध्यस्/सचिव के द्वारा एक माह के भीतर बुलाई जायेगी।
 - (iii) वार्षिक आम-समा / विशेष आम-समा की सूचना साधरणतः 7 दिन पूर्व दी जायेगी परन्तु अत्यावस्थक होने पर यह यूचना 3 दिन पूर्व भी दी जा सकेगी।
 - (iv) वार्षिक आम-समा का कोरम 10 सदस्यों का होगा परन्तु विशेष आम-समा का कोरम केवल 7 सदस्यों का होगा।
 - (v) कोरम के अभाव में बैठक स्थिगत की जा सकेगी जो पुनः 7 दिन पश्चात् निर्धारित स्थान व समय पर आहूत की जा सकेगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की कोई आवश्यकता नहीं होगी लेकिन विचारणीय विषय वही होंगे जो पूर्व एजेण्डा में थे।
- 12. कार्यकारिणी :- सोसाइटी के सुचारू रूप से संचालन हेतु एक कार्यकारिणी होगी जिसके पदाधिकारी व सदस्य निम्न होंगे :-
- (ii) उपाध्यक्ष-एक (iii) सचिव-एक (iv) कोषाध्यक्ष-एक (v) सदस्य-सात (i) अध्यस-एक इस प्रकार कार्यकारिणी में 4 पदाधिकारी व 7 सदस्य — कुल ग्यारह सदस्य होंगे।
- 13. कार्यकारिणी का निर्वाचन :-
 - सोसाइटी के कार्यकारिणी का चुनाव 3 वर्ष की अविध के लिए साधारण-सभा द्वारा किया जायेगा। असाचारण परिस्थितियों, यथा, किसी कारण से कार्यकारिणी में कोरम का अभाव हो जाने, कार्यकारिणी के एक तिहाई सदस्यों के त्यागपत्र दे देने या अध्यक्ष व सचिव के एक ही साथ त्यागपत्र देने पर कार्यकारिणी का चुनाव समयावधि पूर्व भी करवाया जा सकेगा।
 - (ii) चुनाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रीति से करवाया जायेगा।
 - (iii) आवश्यकतानुसार चुनाव अधिकारी की नियुक्ति कार्यकारिणी के द्वारा की जायेगी।
- 14. कार्यकारिणी के अधिकार एवं कर्त्तव्य :- सोसाइटी की कार्यकारिणी के निम्न अधिकार एवं कर्त्तव्य होंगे।
 - (i) सदस्य बनाना ∕निष्कासित करना। (ii) वार्षिक बजट तैयार करना।
 - (iii) सोसाइटी की चल-अचल परिसम्पत्तियों की सुरक्षा करना।
 - (iv) वैतनिक/दैनिक कर्मचारियों की नियुक्ति करना तथा उनके वेतन/मानदेय/भत्तों का निर्घारण R.J. Merghy करना, उन्हें कार्यभार सौंपना एवं उन्हें सेवामुक्त करना।

(v) साधारण-सभा द्वारा पारित निर्णयों को क्रियान्वित करना।

(प्रकृशानंद्र) पण्ड्या) अध्यक्ष

19 6. Wall (पण्ड्या प्रियंकाबेन हर्षदकुमार) सचिव

(राकेश उपाध्याय) कोषाध्यस

क्रमशः...... 5

Signature valid

Digitally signed by Vishin Prasad Designation : REGISTRAR Date: 2024.01.24 Reason: Approved Location:

- (vi) कार्य-व्यवस्था हेतु उप-सोसाइटीयाँ बनाना, उन्हें कार्य सौंपना, उनके कार्यों की देख-रेख करना तथा उद्देश्य की पूर्ति के पश्चात उन्हें भंग करना।
- (vii) अंकेशक की नियुक्ति करना।
- (viii) अन्य आवश्यक कार्य करना जो सोसाइटी के हितों के लिए आवश्यक हो।

15. कार्यकारिणी की बैठकें :-

(i) कार्यकारिणी की वर्ष में कम-से-कम 4 बैठकें अनिवार्य होंगी लेकिन आवश्यकता होने पर बैठक अध्यक्ष सिचव द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी।

(ii) बैठक का कोरम 7 सदस्यों का होगा जिसमें अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष अथवा सचिव की उपस्थिति

अनिवार्य होगी।

(iii) बैठक की सूचना साधरणतः 7 दिन पूर्व दी जायेगी परन्तु अत्यावश्यक बैठक की सूचना इससे

कम समय में भी मान्य होगी बशर्ते कि सभी सदस्यों को सूचना भेज दी गई हो।

(iv) कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुनः निर्घारित तिथि को निर्घारित स्थान व समय पर होगी। ऐसी बैठक में कार्यकारिणी के दो पदाधिकारियों के अलावा एक सदस्य की उपस्थिति अनिवार्य होगी। विचारणीय विषय वही होंगे जो पूर्व एजेण्डा में थे। इस बैठक की कार्यवाही की पुष्टि आगामी आम-समा में कराना आवश्यक होगा।

16. कार्यकारिणी के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्त्तव्य :- सोसाइटी की कार्यकारिणी के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्त्तव्य निम्न होंगे :-

(क) अध्यक्ष :-

6

(i) कार्यकारिणी की बैठकों की अध्यक्षता करना। (ii) बराबर मत होने की दशा में निर्णायक मत देना।

(iii) बैठकें आहूत करना।

(iv) सोसाइटी का प्रतिनिधित्व करना ।

- (v) सोसाइटी की तरफ से संविदा करना, दस्तावेजों को प्रमाणित करना एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना ।
- (ख) उपाध्यक्ष :-
- (i) अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का प्रयोग करना।
- (ii) कार्यकारिणी द्वारा प्रदत्त अन्य अधिकारों का प्रयोग करना एवं दी गई जिम्मेदारियों का निर्वहन करना।

(ग) सचिव :-

(i) अध्यक्ष के निर्देश पर बैठकें आहूत करना।

- (ii) बैठकों में उपस्थित रहकर कार्यवाही लिखना तथा समस्त दस्तावेजों की देखमाल करना व उन्हें अद्यतन रखना।
- (iii) आय-व्यय पर नियंत्रण रखना।

(iv) वैतिनिक कर्मचारियों पर नियंत्रण रखना तथा उनके वेतन व यात्रा बिल, आदि पास करना।

(प्रकाशचंद्रे पण्डया) अध्यक्ष

(पण्ड्या प्रियंकाबेन हर्षदकुमार) सचिव

(राकेश उपाध्याय) कोषाध्यक्ष

क्रमशः.....6

Signature valid

Digitally signed by Vising Prasad Designation : CAR Date: 2024.01.2 Reason: Approved Location:



- (v) सोसाइटी का प्रतिनिधित्व करना व कानूनी दस्तावेजों पर सोसाइटी की ओर से हस्ताक्षर करना।
- (vi) सोसाइटी की ओर से पत्र व्यवहार करना।
- (vii) सोसाइटी के चल-अचल परिसम्पत्तियों की सुरक्षा करना।
- (viii) सोसाइटी के द्वारा सींपे गए अन्य आवश्यक कार्य करना।
- (घ) कोषाध्यक्ष :-
 - (i) वार्षिक लेखा-जोखा तैयार करना।
 - (ii) दैनिक लेखों पर नियन्त्रण रखना।
 - (iii) चंदा, शुल्क, अनुदान, सहायता, राजकीय अनुदान, ऋण, विदेशी सहायता प्राप्ति की रसीद देना।
 - (iv) सोसाइटी के द्वारा सींपे गए अन्य आवश्यक कार्य करना ।
- 17. सोसाइटी के कोष :-
- (i) सोसाइटी के कार्षों का संग्रह सरकार, संस्थाओं एवं व्यक्तियों से चंदा, शुल्क, अनुदान, सहायता, राजकीय अनुदान, विदेशी सहायता के द्वारा किया जायेगा ।

इनके अतिरिक्त सोसाइटी वित्तीय संस्थाओं एवं बैंकों से नियमानुसार ऋण प्राप्त करके भी संसाधनों का प्रबंध कर सकेगी। उक्त ऋण ऋणों को प्राप्त करने हेतु सोसाइटी को अपनी परिसंपत्तियाँ वित्तीय संस्थाओं / वैंकों के पास रेहन रखने का अधिकार होगा जिसके लिये सोसाइटी के अध्यक्ष,सचिव व कोषाध्यक्ष अधिकृत होंगे।

(ii) सोसाइटी आर्थिक सहायता नकद एवं वस्तु-दोनों रूपों में प्राप्त कर सकेगी। इनके अलावा व्यक्तियों को

सोसाइटी को अपनी सेवाओं के रूप में भी सहायता देने की स्वतंत्रता होगी।

(iii) विभिन्न प्रकार से प्राप्त नकद कोषों के अप्रयुक्त अंश को किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में

(iv) अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष में से किन्हीं दो पदाधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षरों से बैंक से लेन-देन

- 18. कोष संबंधी विशेषाधिकार :- सोसाइटी के हितार्थ एवं कार्य व समय की आवश्यकतानुसार निम्न पदाधिकारी सोसाइटी की निम्न राशि एकमुश्त स्वीकृत कर सर्केगे:-
- (i) अध्यक्ष-1000000 रू. (ii) सचिव-250000 रू. (iii) कोषाध्यक्ष-50000 रू. उपरोक्त राशियों की स्वीकृति का अनुमोदन कार्यकारिणी से कराया जाना आवश्यक होगा।
- 19. सोसाइटी का अंकेक्षण :- सोसाइटी के समस्त लेखों का वार्षिक अंकेक्षण किसी चार्टर्ड अकाउण्टेंट अथवा प्रमाणित अंकेक्षक से करवाया जायेगा।
- 20. सोसाइटी के नियमों में परिवर्तन :- सोसाइटी के नियमों में आवश्यकतानुसार, साधारण-सभा के कुल सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से, परिवर्तन, परिवर्द्धन अथवा संशोधन किया जा सकेगा जो राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण R.J. UPusty? अधिनियम,1958 की धारा-12 के अनुसार होगा।

(प्रकाशवंद्र पण्ड्या) अध्यक्ष

Prisis inf (पण्ड्या प्रियंकाबेन हर्षदकुमार) सचिव

(राकेश उपाध्याय) कोषाध्यक्ष

क्रमशः.....7

Signature valid

Digitally signed by Vising Prasad Meena Designation : REGIST Date: 2024.01.24 6 31:19 IST Reason: Approved Location:



21. सोसाइटी के लेखों का निरीक्षण :-रिजस्ट्रार संस्थाएँ, डूंगरपुर को सोसाइटी के दस्तावेजों के निरीक्षण करने का पूर्ण अधिकार होगा व उनके द्वारा दिए गए सुझावों की पालना की जायेगी।

22. सोसाइटी का विघटन :- यदि सोसाइटी का विघटन आवश्यक हुआ तो सोसाइटी की समस्त चल व अचल सम्पत्ति समान उद्देश्य वाली संस्था को हस्तान्तरित कर दी जायेगी। इसी प्रकार सोसाइटी किसी अन्य संस्था को स्वयं में समामेलित भी कर सकती है। परन्तु उक्त समस्त कार्यवाही राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम,1958 की धाराओं 13 व 14 के अनुसार होगी।

23. पूर्व नियमावली का निरस्तीकरण:- एतद् द्वारा सोसाइटी की पूर्व नियमावली; जो रजिस्ट्रार संस्थाएँ, डूंगरपुर के कार्यालय में दिनांक:28.01.1994 को पंजीकृत होने के बाद लागू की गई थी; निरस्त की जाती है। तथापि इस निरस्तीकरण के कारण पूर्व नियमावली के तहत् सोसाइटी द्वारा किए गए कार्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तथा पूर्व नियमावली के तहत् सोसाइटी द्वारा किए गए सभी संविदाएँ भी मान्य होंगी। BIRONS

(प्रकाशचंद्र पण्ड्या) अध्यक्ष

14.8.13.11 (पण्ड्या प्रियंकाबेन हर्षदकुमार) सचिव

(राकेश उपाध्याय) को-गाध्यक्ष

प्रमाणन

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त विद्यान (नियमावली) '' वागड़ चेतना मण्डल, सीमलवाड़ा '' के विद्यान (नियमावली) की सही व सच्ची प्रतिलिपि है।

(प्रकाशवंद्र पण्ड्या) अध्यक्ष

(21.3. VSM (पण्ड्या प्रियंकावेन हर्षदकुमार) सचिव

(राकेश उपाध्याय) कोषाध्यक्ष

वागड़ चेतना मण्डल, सीमलवाड़ा

C/O श्री प्रकाशचन्द्र पण्ड्या, ग्राम व पोस्ट-सीमलवाडा, जिला-डूंगरपुर, पिन-314403(राजस्थान) (पंजीयन संख्याः 37/डूंगरपुर/1993-94, दिनांकः 28-01-1994)

संशोधित विधान (नियमावली) से संबंधित प्रमाणपत्र

हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता यह प्रमाणित करते हैं कि " वागड़ चेतना मण्डल, सीमलवाड़ा " के नियमावली में परिवर्तन, परिवर्द्धन, व संशोधन राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण R.J. UPudh अधिनियम,1958 की धारा 4 व 12 के अनुसार ही किया गया है ।

(प्रकाशचंद्र पण्ड्या) अध्यक्ष

Par. 8. 23241 (पण्ड्या प्रियंकावेन हर्षदकुमार) सचिव

(राकेश उपाध्याय) कोषाध्यक्ष

Signature valid

Digitally signed by Vishni Prasad Meena Designation : REGIST Date: 2024.01.24 Reason: Approved Location:

